International Journal of Academic Research and Development
ISSN: 2455-4197
Impact Factor: RJIF 5.22
www.academicsjournal.com
Volume 2; Issue 5; September 2017; Page No. 1132-1133

अन्तर्राष्ट्रीय जगत में सुरक्षा परिषद्

डॉ॰ दुर्गेश सिंह
पी–एच॰डी॰ राजनीति विज्ञान, राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, फैजाबाद, उत्तर प्रदेश, भारत।

प्रस्तावना

राष्ट्र संघ के अनुभवों ने संयुक्त राष्ट्र के निर्माताओं के मस्तिष्क में यह धारणा उत्पन्न कर दी थी, कि सारे विश्व समुदाय के अन्दर पांच महाशक्तियों का भी समुदाय विद्यमान है जिनकी मित्रता एवं मतैक्य पर ही विश्व की शांति एवं सुरक्षा कायम कर सकती है। फलतः डम्बार्टन ऑक्स सम्मेलन में इस तथ्य पर अत्यधिक बल दिया गया था, कि एक ऐसे कार्यपालन अंग की स्थापना की जाए, जिसकी सदस्यता सीमित हो जो विश्व में शांति एवं सुरक्षा की रक्षा हेतु पुलिस दायित्व से सम्पन्न हो, जो उक्त राष्ट्रीय समुदाय के लिए एक सजग प्रहरी का कार्यभार ग्रहण कर सके। जिसका सत्र कभी समाप्त न हो जो शांति के लिए संकट सिद्ध होने वाले, शांति भंग अथवा आक्रमण कृत्यों की विद्यमान पर शीघ्र निर्णय लेकर उनके निराकरण के लिए तुरन्त एवं प्रभावी कार्यवाही करने में पूर्णतः सक्षम हो।''[1]

राजनीतिक विषयों में सुरक्षा परिषद् संयुक्त राष्ट्र का कार्यपालिकीय अंग है पामर और पार्किन्स ने इसे ''संयुक्त राष्ट्र की कुंजी'' कहा है। डेविड कुरामेन ने इसे ''दुनिया का पुलिसमेन कहा है।''

संगठन चार्टर के 5वें अध्याय में सुरक्षा परिषद के संगठन सम्बन्धी नियम दिये गये हैं, इसके अनुसार परिषद् में मूलतः पांच स्थायी और छः अस्थायी कुल ग्यारह सदस्य होते हैं, परन्तु सितम्बर 1965 में चार्टर में संशोधन द्वारा अस्थायी सदस्यों की संख्या बढ़कर दस कर दी गयी। ऐसा इसलिए किया गया कि सन् 1945 के बाद संघ के सदस्यों की संख्या दुगनी से भी अधिक हो गयी और छोटे–छोटे राज्य सुरक्षा परिषद में अधिक स्थान की मांग करने लगे। तदनुसार महासभा ने निर्णय लिया कि 10 अस्थायी सदस्यों में से 5 एशिया–अफ्रिका राज्यों में से 1 पूर्वी यूरोप, 2 दक्षिण अमेरीका व शेष 2 पश्चिमी व अन्य राज्यों से होना चाहिए।

चार्टर की धारा 27 में सुरक्षा परिषद् में मतदान की प्रक्रिया का वर्णन है, इसके अनुसार प्रक्रिया सम्बन्धी विषय में परिषद् के निर्णय 9 सदस्यों के स्वीकार मत से किये जायेंगे। प्रक्रिया सम्बन्धी विषयों का आश्रय ऐसे मामलों से है, जिससे सुरक्षा परिषद की बैठक के समय स्थान का निर्णय करना इसके सहायक अंगों की स्थापना कार्यवाही चलाने के नियम आदि। इसके अतिरिक्त सब विषय महत्वपूर्ण सारवान समझे जाते हैं। ऐसे विषयों के निर्णय के लिए 9 सदस्यों के स्वीकारात्मक वोट के साथ 5 स्थायी सदस्यों के स्वीकारात्मक वोट भी होने चाहिए। इस व्यवस्था के अनुसार यदि 5 स्थायी सदस्यों में से कोई एक भी किसी महत्वूपर्ण निर्णय के विपक्ष में वोटे दे देता है तो वह विषय अस्वीकृत समझा जायेगा इस प्रकार प्रत्येक स्थायी सदस्य को निषेधाधिकार प्राप्त है।

कहने का तात्पर्य यह है कि प्रक्रिया सम्बन्धी विषयों को छोड़कर अन्य सभी विषयों में निर्णय के लिए पांचों स्थायी सदस्यों की सर्वसम्मति अनिवार्य है यदि कोई भी स्थायी सदस्य इन विषयों में निर्णय लेने के समय अपना नकारात्मक मत प्रदान करता है तो सुरक्षा परिषद उन विषयों पर कोई निर्णय नहीं कर सकता इस प्रकार स्थायी सदस्यों में से किसी एक सदस्य का नकारात्मक मत सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों की इस शक्ति को निषेधाधिकार की शक्ति हैं। इस प्रकार तथाकथित पांच बड़ों में से कोई भी सदस्य दूसरे राज्यों के सम्बन्ध में निर्णय लेने एवं उनके विरूद्ध विधि लागू करने में सक्षम है किन्तु स्वयं विधि के ऊपर है।

हालांकि चार्टर के अनु. 24 के अनुसार सुरक्षा परिषद का प्रधान कार्य अंतर्राष्ट्रीय शान्ति एवं सुरक्षा की व्यवस्था करना है। इस कार्य के अतिरिक्त अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा पर आ पड़े खतरे के कारणों का निर्धारण कर समुचित कार्यवाही करना एवं सुझाव देना, निश्स्त्रीकरण हेतु नियमन प्रणाली की स्थापना करना, आक्रान्ता राष्ट्र के विरूद्ध कार्यवाही सुनिश्चित करना आदि सुरक्षा परिषद को सौंपे गए हैं। सुरक्षा परिषद के अन्तर्गत प्रक्रिया सम्बन्धी विषयों पर किन्हीं नौ सदस्य राष्ट्रों के समर्थन से कोई प्रस्ताव पारित किया जा सकता है, लेकिन अन्तर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा से सम्बन्धित विषय पर निर्णय के लिए नौ सदस्य राष्ट्रों में पांचों स्थायी सदस्य राष्ट्रों का समर्थन आवश्यक है।[3]

निषेधाधिकार का प्रयोग :

निषेधाधिकार के अधिक प्रयोग से सुरक्षा परिषद् का प्रभाव घटने लगा। निषेधाधिकार के प्रभाव को कम करने के लिए अन्तरिम समिति और शांति के लिए एकता प्रस्ताव पारित करने पडे। वीटों के कारण संयुक्त राष्ट्र महासचित की नियुक्ति में भी बाधाएं उत्पन्न हुई।

एल॰ एम॰ गुडरिच ओर हम्ब्रो ने निषेधाधिकार के बारे में दी चार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशन्स में बतलाया है कि –'निषेधाधिकार से सम्बन्धित विवादों ने शान्ति सन्धियों की कार्य प्रक्रिया में अनावश्यक रोक लगा दी है और आक्रमणों से ध्वस्त संसार के अनेक क्षेत्रों में पुर्नस्थापना कार्य को अवरोधित किया है। इसलिए महासभा में छोटे बड़े कई सदस्य राष्ट्रों ने निषेधाधिकार के बिना संयुक्त राष्ट्र संघ में रहने को तैयार ही नहीं, इन राष्ट्रों का तो यही कहना है कि निशेघाध्किार के बिना संयुक्त राष्ट्र निरर्थक और निष्फल हो जायेगा।

कुछ दशाओं में निषोधाधिकार एक लाभकारी व्यवस्था के रूप में सामने आया है, इसने गुटबन्दियों एवं स्वार्थ से प्रभावित कई अन्यायपूर्ण प्रस्तावों को पास करने से रोका है। इसी कारण कुछ कूटनीतिज्ञों ने निषोधाधिकार के बिना संयुक्त राष्ट्र को पहिया विहीन रथ की संज्ञा दे डाली।[4]

स्टीवेन्सन के शब्दों में राष्ट्रों में यदि पांच बड़े राष्ट्र अपने महत्वपूर्ण हितों से सम्बन्धित किसी मामले में राजी नहीं होते तो उनमें से किसी के विरूद्ध शक्ति का प्रयोग एक बड़े युद्ध को जन्म देगा।[5]

अतः आवश्यक है कि शांति एवं सुरक्षा की स्थापना के लिए महाशक्तियों के बीच पारस्परिक सहयोग हो।

हालांकि वीटों शक्ति से होने वाले लाभ के बजाय हानि अधिक हुई है। केल्सन ने लिखा है कि वीटों के द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ में पांच स्थायी सदस्यों के निशेधाधिकार प्राप्त हो गया है और इस प्रकार अन्य सदस्यों पर उनकी कानूनी प्रभुता स्थापित हो गई हैं त्रिग्ग्वे ली के शब्दों में वीटो के कारण संयुक्त राष्ट्र संघ नपुंसक है। यह महाशक्तियों के संघर्ष द्वारा पक्षाघात ग्रस्त कर दिया गया है।

वीटों के प्रयोग ने सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था को नष्ट कर दिया। अब राष्ट्र अपनी सुरक्षा के लिए नाटो, सीटों सेण्टो जैसे, प्रादेशिक सुरक्षा संगठनों की रचना करने लगे। सन् 1946 में फिलीपिन्स के प्रतिनिधि ने तो यहां तक कहा है कि वीटों एवं फ्रेकेन्सटीन दैत्य। .. यह संयुक्त राष्ट्र में सभी व्यवहारिक कार्यवाहियों को रोक देता है।

सुरक्षा परिषद में सुधार

हालांकि सुरक्षा परिषद की संरचना कार्यप्रणाली में सुधार की जरूरत काफी लम्बे समय से महसूसकी जाती रही है। पर शीत युद्ध की स्थिति ने अन्तर्राष्ट्रीय राजनति के क्षेत्र में इस मुद्दे को केन्द्रीय स्थान नहीं लेने दिया। अतः सुरक्षा परिषद को वास्तविक प्रोत्साहन भूतपूर्व सोवियत संघ के विघटन के परिणामस्वरूप शीत युद्ध के अन्त के बाद ही मिला। परिषद की कार्यप्रणाली पर विचार विमर्श के लिए भारत, जर्मनी जापान और ब्राजील (जी–4) जैसे देशों की अगुआई में निरंतर सुधार की मांगों के फलस्वरूप 31 जनवरी 1992 में प्रस्तुत एक अन्य रिपोर्ट एन एजेन्डा फौर फरदार रिफार्म' में सुरक्षा परिषद की संरचना और कार्यप्रणाली में प्रस्तावित सुधरों का संबंध इसकी सदस्यता के विस्तार, वीटों शक्ति के सीमित प्रयोग और परिषद के अनुमोदन व कार्य पद्धतियों में सुधार से है। इसी बीच मार्च 2005 में इनलार्ज फ्रीडम नामक रिपोर्ट में परिषद के विस्तार पर एक सर्वसम्मति प्राप्त करने के लिए सदस्यों को आमंत्रित किया गया और इस मुद्दे की अन्तिम रूप प्रस्तुत किया गया। जिससे परिषद की सदस्य संख्या 24 तक करने की मांग की गई। इस मामले के समाधान के लिए दो विकल्प दिए गए। 1. तीन नए अस्थाई सदस्यों के साथ–साथ छः नए स्थाई सदस्य शामिल किए जाए तथा 2. सदस्यों की नई श्रेणी बनाई जाए जिसमें एक अस्थाई सदस्य होगा और आठ नए सदस्य शामिल किए जाएंगे जिनका कार्यकाल चार वर्ष होगा और उनका फिर से नवीनीकरण किया जायेगा।

जी–4 देशों ने भी योजना प्रस्तुत की थी जिसके अनुसार पांच सदस्य नई स्थायी सदस्यों के अतिरिक्त अफ्रीकी महाद्वीप से एक अन्य तथा जी–4 तथा चार नए अस्थाई सदस्य शामिल किए जाने का प्रस्ताव था। परन्तु विश्व के अनेक भागों में विभिन्न पड़ोसी देशों के बीच राजनतिक, प्रतिद्वन्दिता के कारण पांच देशों अर्जेंटिना, इटली, कनाडा, कोलम्बिया और पाकिस्तान ने जी–4 के प्रयासों को असफल करने के लिए जुलाई 2005 में हाथ मिलाए और जी–4, व अन्य देशों के प्रस्तावों के विकल्प के रूप में यूनाइटेड फॉर कन्सेन्सस नामक मंच का गठन किया। इन देशों को काफी क्लब भी कहा जाता है। इन्होंने मौजूदा पांच देशों की स्थाई सदस्यता को सुरक्षित बनाए रखने का प्रस्ताव दिया और सुरक्षा परिषद के विस्तार की मांग करते हुए इसमें आंशिक रूप स्थायी प्रकृति के पांच अन्य सदस्य शामिल करने का आग्रह किया।

सुरक्षा परिषद में सुधार का अगला कदम सितम्बर 2005 में उठाया गया जब विश्व सम्मेलन में सुरक्षा परिषद को अधिक पारदर्शक, उत्तरदायी और समान रूप से प्रतिनिधिक बनाने पर नेताओं में सहमति बनी। फिर अपनी राष्ट्रीय हितों के कारण सुरक्षा परिषद में सुधारों को लेकर पांच स्थाई सदस्यों के अलग–अलग दृष्टिकोण है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र के समस्य कार्यक्रम में सुरक्षा परिषद के सुधार और विस्तार के सम्बन्ध में अपने को मुक्त घोषित किया है। यह आर्थिक आकार, जनसंख्या सैनिक शक्ति लोकतंत्र और मानव अधिकारों के प्रतिष्ठा संयुक्त राष्ट्र के शांति स्थापना में योगदान, आतंकवाद से निपटने और परमणु अप्रसार जैसे कारकों पर आधरित मानदण्ड का विकास करते हुए परिषद के समग्र भौगोलिक संतुलन को ध्यान में रखने का दावा करता है। इस मामलें पर चीन ने मिश्रित प्रतिक्रिया दिखायी हालांकि उसने काफी क्लब से सम्बन्धित देशों के प्रस्तावों के साथ समझौते की घोषणा की हैं ब्रिटेन, फ्रांस और रूस ने जी–4 देशों के प्रस्ताव का समर्थन की इच्छा जाहिर की है।

सदस्यता के अलावा एक अन्य मामला जिसमें सुधार की जरूरत है उसका सम्बन्धित वीटों से है वीटों के सम्बन्ध में प्रस्ताव राज्यों के राष्ट्रीय हितों के महत्वपूर्ण मामलों पर वीटों के प्रयोग को सीमित करने का है ताकि सभी और विविध मामलों में इसका प्रयोग कम किया जा सके। दूसरे वीटों के प्रयोग के लिए अनिवार्य रूप से एक बहुराष्ट्रीय समझौता अपनाने का सुझाव दिया गया है ताकि वीटो का प्रयोग तर्क सम्मत और अहुमत दृष्टिकोण से किया जा सके। अन्ततः वीटों के उन्मूलन की मांग रखी गई है। क्योंकि परिषद के निर्णय निर्माण के अविवेकपूर्ण प्रतिवाद का साधन माना जाता है।

सुरक्षा परिषद की सदस्यता में विस्तार और वीटों के दुरूपयोग को कम करने के लिए सुरक्षा परिषद में सुधार के बढ़ते समर्थन के बावजूद भावी समय के लिए दूरगामी सुधारों के आयाम असंभावित लगते हैं। अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति की वर्तमान रूप रेखा इस प्रकार निर्धारित की गई है कि सुरक्षा परिषद के पांचों स्थायी सदस्य मौज़ूदा व्यवस्था में कुछ समय के लए कोई बदलाव नहीं चाहेंगे। इसके साथ–साथ विश्व के विभिन्न भागों में पड़ोसी देशों के बीच राजनति प्रतिद्वंदिता इस मामले पर सर्वसम्मति उत्पन्न नहीं होने देगी जिसके अभाव में सुरक्षा परिषद में सुधार करना कठिन हो जाएगा और यह स्थायी सदस्यों के हित में होगा। अंततः सुरक्षा परिषद के पांच स्थायी सदस्यों के सकारात्मक मत के साथ–साथ बहुमत की भी आवश्कयता होगी।[5]

सन्दर्भः

1. जवाहरलाल नेहरू एटॉमिक एनर्जी फॉरपीस एण्ड प्रोगसे ऑफ मेनकाइंड, बलवन्त देसाई, एटम फॉर पीस देल्ही, 1975।
2. के. सुब्रमण्डयम, ईट एण्ड फलो ऑफ पावर इन द इंडियन ओसीन यू एस. आई. जनरल नई दिल्ली, जनवरी–मार्च 1968।
3. महेन्द्र कुमार, थ्योरिटिकल आसपेक्ट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन्स, नई दिल्ली, 1977.
4. क्रडरिक एल षुभां– अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध से उद्धृत पृष्ठ – 262, 263.
5. एम बी नायडू –क्लेक्टिव सिक्योरिटी एण्ड दी यूनाइटेड नेशन नई दिल्ली, पृष्ठ – 94.
6. तपन विश्वास, अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध, पृष्ठ 326, 327, 328.